



फाइल नं० एल. डब्लू./एन. पी. 589

साइसेन्स नं० डब्ल्यू पी०-48

साइसेन्स एंड पोस्ट एट कन्वेंशनल एट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 23 मार्च, 1994

चैत्र 2, 1916 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 488/समूह-वि-1-1(क) 5-1994

लखनऊ, 23 मार्च, 1994

अधिसूचना

द्विधित

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 पर दिनांक 22 मार्च, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की, और उससे संबंधित या आनुवंशिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के वैतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 कहा जायगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में,—

(क) लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है ;

(ख) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

(ग) "लोक सेवाओं और पदों" का तात्पर्य राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित की सेवाएँ और पद भी हैं:—

(एक) स्थानीय प्राधिकारी ;

(दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (त्र) में यथा परिभाषित सहकारी समिति, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति का अंश पूँजी के इक्यावन प्रतिशत से कम न हो ;

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई कानूनी निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत समावृत शेयर पूँजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो ;

(चार) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्प संख्यक वर्गों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है ;

(पाँच) जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को सरकार के आदेशों द्वारा, आरक्षण लागू था और जो उपखण्ड (एक) से (चार) के अधीन अच्छादित नहीं है ;

(ष) किसी रिक्ति के सम्बन्ध में "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय, से है ।

अनुसूचित जातियों;
अनुसूचित जन-
जातियों और अन्य
पिछड़े वर्गों के पक्ष
में आरक्षण

3—(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा:—

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में .. इक्कीस प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जन-जातियों के मामले में .. दो प्रतिशत

(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में .. सत्ताइस प्रतिशत :

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा ।

(2) यदि, भर्ती के किसी वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाय तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये विशेष भर्ती, तीन से अधिक, उतनी बार की जायेगी जैसी आवश्यक समझी जाय ।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट तीसरी ऐसी भर्ती में अनुसूचित जन-जातियों के उप-बृक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जायगी ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्त उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष मर्ती के पश्चात् भी बिना मरी रह जाती है तो उसे पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले अगले वर्ष में जिसमें मर्ती की जाती है, इस शर्त के अधीन अग्रणीत किया जा सकेगा कि उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की सनी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का कुल आरक्षण उस वर्ष में कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा, एक रोस्टर जारी करेगी जो अनवरत् रूप से लागू रहेगा, जब तक वह समाप्त न हो जाय।

(6) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उस उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायगा।

(7) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय।

4--(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा, उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

(2) राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियां या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

5--(1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह दोषविद्ध होने पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगा, या जमाने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का मंजान राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस नियुक्ति प्राधिकृत किसी अधिकारी को, पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, संक्षेपतः किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध बंधावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

6--यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं भी श्रेणियों का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो वह आवश्यक समझे।

7--राज्य सरकार, आदेश द्वारा, चयन समिति में, ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से जैसी आवश्यक समझी जाय और जहां ऐसी समिति किसी सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाय, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों के नाम-निर्देशन की व्यवस्था कर सकती है।

8--(1) राज्य सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में, आदेश द्वारा, किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस के सम्बन्ध में ऐसी छूट और उच्चतर आयु सीमा के सम्बन्ध में शिथिलीकरण कर सकती है, जैसी वह आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में सीधी मर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में अन्य छूटों और शिथिलीकरणों जिसके अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस में छूट और उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पूर्वतः सरकार के आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें यथास्थिति, उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय।

अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्ति

शास्त्र

अभिलेख मांगने की शक्ति

चयन समिति में प्रतिनिधित्व

छूट और शिथिलीकरण

- जाति प्रमाण-पत्र 9--इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण-पत्र, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्राह्व में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायगा।
- कठिनाइयों को दूर करना 10--यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उम्मे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।
- सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण 11--इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।
- नियम बनाने की शक्ति 12--राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।
- अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति 13--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूचियों को संशोधित कर सकेगी और गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूचियों को तदनुसार संशोधित समझा जायगा।
- आदेशों इत्यादि का रखा जाना 14--धारा 3 की उपधारा (5), धारा 4 की उपधारा (1) और (2) और धारा 10 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश और धारा 13 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।
- अपवाद 15--(1) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।
- स्पष्टीकरण :--जहां सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार--
- (एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार ही, वहां, यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर; या
- (दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहां लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर,
- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायेगी।
- (2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।
- निरसन और अपवाद 16--(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1989, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1994 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों और अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानी इस अधिनियम के उपबन्ध समी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची--एक

[देखिये धारा 2(ख)]

- | | |
|--|--|
| 1--अहीर | 29--नायक |
| 2--अरख | 30--फकीर |
| 3--काछी | 31--बंजारा |
| 4--कहार | 32--बढ़ई |
| 5--केवट या मत्लाह | 33--बारी |
| 6--किसान | 34--बैरागी |
| 7--कोहरी | 35--बिन्द |
| 8--कुम्हार | 36--बियार |
| 9--कुर्मी | 37--भर |
| 10--कम्बोज | 38--मुर्जी या भड़भूजा |
| 11--कसगर | 39--मठियारा |
| 12--कुंजड़ा या राईन | 40--माली, सैनी |
| 13--गोसाई | 41--मनिहार |
| 14--गूजर | 42--मुराव या मुराई |
| 15--गढ़ेरिया | 43--मोमिन (अंसार) |
| 16--गद्दी | 44--मिरासी |
| 17--गिरि | 45--मुस्लिम कायस्थ |
| 18--चिकवा (कस्बाव) | 46--नद्दाक (घुनिया), मन्मूरी |
| 19--छीपी | 47--मारछा |
| 20--जोगी | 48--रंगरेज |
| 21--झोजा | 49--लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत |
| 22--डफाली | 50--लोहार |
| 23--तमोली | 51--लोनिया |
| 24--तेली | 52--सोनार |
| 25--दर्जी | 53--स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो) |
| 26--धीवर | 54--हलवाई |
| 27--नक्काल | 55--हज्जाम (नाई) |
| 28--नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो) | |

अनुसूची-दो

[देखिये धारा 3(1)]

1--निम्नलिखित की पुत्र या पुत्री:--

(क) सीधी मर्ती किया गया या किसी राज्य सेवा से पदोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा या अन्य केन्द्रीय सेवा का कोई सदस्य; या

(ख) उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा), उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा या किसी अन्य राज्य सेवा का कोई सदस्य, जो ऐसी सेवा में सीधी मर्ती से आया हो; या

(ग) भारत सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय या ऐसे विभाग या मंत्रालय के अधीन शैक्षिक शोध या किसी अन्य संस्था के समूह "क" / श्रेणी-एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (क) में सम्मिलित नहीं है; या

(घ) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्था के समूह "क" / श्रेणी-एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (ख) में सम्मिलित नहीं है; या

(ड) सशस्त्र सेना या अर्द्धसैनिक बल का कोई अधिकारी जो कर्नल या समकक्ष पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो :

परन्तु सेवा के ऐसे सदस्य या अधिकारी की वेतन से आय प्रतिमास दस हजार रुपये या अधिक हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसका या उसकी पत्नी का नगर क्षेत्र में अपना मकान हो ।

2—चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, अभियन्ता, वकील, वास्तुविद, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की वृत्ति में लगे या सम्पर्क और मूचना व्यवसायी, प्रबन्ध और अन्य परामर्शी, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी या शिक्षण संस्था या कॉचिंग इन्स्टीट्यूट चलाने वाले या शेयर या स्टाक दलाल या मनोरंजन के व्यवसाय में लगे हुए किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री :

परन्तु उसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो ।

3—किसी व्यवसायी, जिसकी अनवरत तीन वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री ।

4—किसी उद्योगपति, जिसकी चालू इकाइयों में विनियोजन का स्तर दस करोड़ रुपये से अधिक हो और ऐसी इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन में कम से कम पांच वर्षों से लगी हों और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री ।

5—किसी व्यक्ति, जिसके पास उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरक्षण अधिनियम, 1960 के अधीन नियत सीमा के भीतर जोत हो, जिसकी कृषि से आय को छोड़कर वेतन, व्यवसाय या उद्योग आदि जैसे स्रोतों से किसी वित्तीय वर्ष में आय दस लाख रुपये हो और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री ।

6—किसी व्यक्ति, जो उपरिलिखित श्रेणियों में सम्मिलित न हो, जिसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री ।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव ।

No. 488(2)/XVII-V-1-1(KA)6-1994

Date Lucknow, March 23, 1994

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan-Jatiyon Aur Anya Pichhre Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 22, 1994.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) ACT, 1994

(U. P. Act no 4 of 1994)

(As passed by the U. P. Legislative Assembly)

AN
ACT

to provide for the reservation in public Services and posts in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India as

Short title and commencement follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 11, 1993.

Definitions

2. In this Act,—

(a) "appointing authority" in relation to public services and posts means the authority empowered to make appointment to such services or posts;

(b) "other backward classes of citizens" means the backward classes of citizens specified in Schedule I;

(c) "public services and posts" means the services and posts in connection with the affairs of the State and includes services and posts in—

(i) a local authority;

(ii) a co-operative society as defined in clause (f) of section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 in which not less than fifty-one per cent of the share capital of the society is held by the State Government;

(iii) a Board or a Corporation or a statutory body established by or under a central or a Uttar Pradesh Act which is owned and controlled by the State Government, or a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 in which not less than fifty-one per cent of the paid up share capital is held by the State Government;

(iv) an educational institution owned and controlled by the State Government or which receives grants in aid from the State Government, including a university established by or under a Uttar Pradesh Act, except an institution established and administered by minorities referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution;

(v) respect of which reservation was applicable by Government orders on the date of the commencement of this Act and which are not covered under sub-clauses (i) to (iv);

(d) "year of recruitment" in relation to a vacancy means a period of twelve months commencing on the first of July of a year within which the process of direct recruitment against such vacancy is initiated.

3. (1) In public services and posts, there shall be reserved at the stage of direct recruitment, the following percentages of vacancies to which recruitments are to be made in accordance with the roster referred to in sub-section (5) in favour of the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens,—

(a) in the case of Scheduled Castes twenty one per cent;

(b) in the case of Scheduled Tribes two per cent;

(c) in the case of other backward classes of citizens twenty seven per cent;

Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes.

Provided that the reservation under clause (c) shall not apply to the category of other backward classes of citizens specified in Schedule II.

(2) If, even in respect of any year of recruitment, any vacancy reserved for any category of persons under sub-section (1) remains unfilled, special recruitment shall be made for such number of times, not exceeding three, as may be considered necessary to fill such vacancy from amongst the persons belonging to that category.

(3) If, in the third such recruitment referred to in sub-section (2), suitable candidates belonging to the Scheduled Tribes are not available to fill the vacancy reserved for them, such vacancy shall be filled by persons belonging to the Scheduled Castes.

(4) Where, due to non-availability of suitable candidates any of the vacancies reserved under sub-section (1) remains unfilled even after special recruitment referred to in sub-section (2), it may be carried over to the next year commencing from first of July, in which recruitment is to be made, subject to the condition that in that year total reservation of vacancies for all categories of persons mentioned in sub-section (1) shall not exceed fifty per cent of the total vacancies.

(5) The State Government shall, for applying the reservation under sub-section (1), by a notified order, issue a roster which shall be continuously applied till it is exhausted.

(6) If a person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) gets selected on the basis of merit in an open competition with general candidates, he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under sub-section (1).

(7) If, on the date of commencement of this Act, reservation was in force under Government Orders for appointment to posts to be filled by promotion, such Government Orders shall continue to be applicable till they are modified or revoked.

Responsibility and powers for compliance of the Act

4. (1) The State Government may, by notified order, entrust the appointing authority or any officer or employee with the responsibility of ensuring the compliance of the provisions of this Act.

(2) The State Government may, in the like manner, invest the appointing authority or officer or employee referred to in sub-section (1) with such powers or authority as may be necessary for effectively discharging the responsibility entrusted to him under sub-section (1).

Penalty

5. (1) Any appointing authority or officer or employee entrusted with the responsibility under sub-section (1) of section 4 who wilfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purposes of this Act shall, on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this section except with the previous sanction of the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government by an order.

(3) An offence punishable under sub-section (1) shall be tried summarily by a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class and the provisions of sub-section (1) of section 262, section 263, section 264 and section 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall *mutatis mutandis* apply.

Power to call for record

6. If it comes to the notice of the State Government, that any person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) of section 3 has been adversely affected on account of non compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder or the Government orders in this behalf by the appointing authority, it may call for such records and take such action as it may consider necessary.

Representation in Selection Committee

7. The State Government may, by order, provide for nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other backward classes of citizens in the Selection Committee to such extent and in such manner as it may consider necessary where such Committee is constituted either under the service rules or otherwise.

Concession and relaxation

8. (1) The State Government may, in favour of the categories of persons mentioned in sub-section (1) of section 3, by order, grant such concessions in respect of fees for any competitive examination or interview and relaxation in upper age limit, as it may consider necessary.

(2) The Government orders in force on the date of the commencement of this Act, in respect of concessions and relaxations, including concession in fees for any competitive examination or interview and relaxation in upper age limit and those relating to reservation in direct recruitment and promotion, in favour of categories of persons referred to in sub-section (1), which are not in consistent with the provisions of this Act, shall continue to be applicable till they are modified or revoked, as the case may be.

Caste certificate

9. For the purposes of reservation provided under this Act, caste certificate shall be issued by such authority or officer and in such manner and form as the State Government may, by order, provide.

U.
Act 19
U.
Act 19
P.
anc
15

10. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Removal of difficulties

11. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith

12. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules

13. The State Government may, by notification, amend the Schedules and upon the publication of such notification in the *Gazette*, the Schedules shall be deemed to be amended accordingly.

Power to amend the Schedules

14. Every order made under sub-section (5) of section 3, sub-sections (1) and (2) of section 4 and section 10 and every notification issued under section 13 shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Laying of Orders etc.

15. (1) The provisions of this Act shall not apply to cases in which selection process has been initiated before the commencement of this Act and such cases shall be dealt with in accordance with the provisions of law and Government orders as they stood before such commencement.

Savings

Explanation : For the purposes of this sub-section the selection process shall be deemed to have been initiated where, under the relevant service rules, recruitment is to be made on the basis of—

(i) written test or interview only, the written test or the interview, as the case may be, has started, or

(ii) both written test and interview, the written test has started.

(2) The provisions of this Act shall not apply to the appointment, to be made under the Uttar Pradesh Recruitment of Dependent of Government Servant Dying in Harness Rules, 1974.

16. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) Act, 1989, the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Act, 1993 and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes) Ordinance, 1994 are hereby repealed.

Repeal saving:

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Acts and the ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

U. P. Act no. 21 of 1994

U. P. Act no. 3 of 1993

P. Ordinance no. 5 of 1994

SCHEDULE—I

[See SECTION 2(6)]

- | | |
|--|---|
| 1. Ahir | 29. Naik |
| 2. Arakh | 30. Faqir |
| 3. Kachchi. | 31. Banjara |
| 4. Kahar | 32. Barhai |
| 5. Kewat or Mallān | 33. Bari |
| 6. Kisan | 34. Beragi |
| 7. Koeri | 35. Bind |
| 8. Kumhar | 36. Biyar |
| 9. Kurmi | 37. Bhar |
| 10. Kamboj | 38. Bhurji or Bharbhunja |
| 11. Kasgar | 39. Bhatihara |
| 12. Kunjra or Racen | 40. Mali, Saini |
| 13. Gosain | 41. Manihar |
| 14. Gujar | 42. Murao or Murai |
| 15. Gadariya | 43. Momin (Ansar) |
| 16. Gaddi | 44. Mirasi |
| 17. Giri | 45. Muslim Kayastha |
| 18. Chikwa (Qassab) | 46. Naddaf (Dhuniya), Mansoori |
| 19. Chhippi | 47. Marchcha |
| 20. Jogi | 48. Rangrez |
| 21. Dhafali | 49. Lodh, Lodha, Lodhi, Lot, Lodhi-
Rajput. |
| 22. Jhoja | 50. Lohar |
| 23. Tamoli | 51. Lonia |
| 24. Teli | 52. Sonar |
| 25. Darzi | 53. Sweeper (Those not included in
Scheduled Castes category.) |
| 26. Dhiver | 54. Halwai. |
| 27. Naqqal | 55. Hajjam (Nai) |
| 28. Nat (Those not included in Scheduled
Castes category) | |

SCHEDULE—II

[See SECTION 3 (b)]

1. Son or daughter of—

(a) a member of Indian Administrative Service, Indian Foreign Service, Indian Police Service, Indian Forest Service or other Central Service whether directly recruited or promoted from any State Service; or

(b) a member of Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch), Uttar Pradesh Police Service or other State Service, who has been directly recruited to such Service; or

(c) such Group A/Class I officer of any Department or Ministry of Government of India or educational, research or other institutions under such Department or Ministry, who is not included in sub-category (a); or

(d) such Group A/Class I officer of any Department or institution of the State Government, who is not included in sub-category (b); or

(e) an officer of the defence forces or para military forces who is not below the rank of a Colonel or equivalent rank:

Provided that the income from salary of such member or service or officer is Rupees ten thousand or more per mensem, his spouse is at least a graduate and he or his spouse owns a house in an urban area.

2. Son or daughter of a person engaged in profession as a doctor, surgeon, engineer, lawyer, architect, Chartered Accountant, media and information professional, management

and other consultant, film artist and other film professional, running educational institution or coaching institute or engaged in the business as share or stock broker or in entertainment business !

Provided that his average income from all sources for three consecutive financial years is not less than rupees ten lakh per annum, his spouse is atleast a graduate and his family owns immovable property worth atleast rupees twenty lakh.

3. Son or daughter of a business man whose average income for three consecutive financial years is not less than rupees ten lakh per annum, his spouse is atleast a graduate and his family owns immovable property worth atleast rupees twenty lakh.

4. Son or daughter of an industrialist whose level of investment in running units is over rupees ten crore and such units are engaged in commercial production for atleast five years and his spouse is atleast a graduate.

5. Son or daughter of a person who has holding within the limit fixed under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, has an income of rupees ten lakh in a financial year from sources other than agriculture such as salary, business or industry and the like and his spouse is atleast a graduate.

6. Son or daughter of a person, not included in any of the aforementioned categories, whose average income from all sources for three consecutive financial years is not less than rupees ten lakh per annum, his spouse is atleast a graduate and his family owns immovable property worth at least rupees twenty lakh.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.